"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 460] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 3 सितम्बर 2015— भाद्रपद 12, शक 1937

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 2 सितम्बर 2015

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-71/22-1/2015.— छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (भर्ती तथा सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1999 में और संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 70 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, बनाना प्रस्तावित करती है, उक्त अधिनियम की धारा 95 की उपधारा (3) के अधीन अपेक्षित किये गये अनुसार, उन समस्त व्यक्तियों, जिनके की उससे प्रभावित होने की संभावना है, की जानकारी के लिये, एतद्द्वारा, प्रकाशित किया जाता है तथा एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप पर इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पंद्रह दिवस के अवसान के पश्चात् विचार किया जायेगा.

कोई आपत्ति या सुझाव, जो उक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से विनिर्दिष्ट कालावधि के पूर्व, संयुक्त सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, कक्ष क्रमांक ADO-26 महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में प्राप्त हो, पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विचार किया जायेगा.

संशोधन प्रारूप

उक्त नियमों की अनुसूची में -

अनुसूची-एक में,-

(क) शीर्षक जिला पंचायत के अधीन भाग-क कोर प्रभाग (विद्यमान स्टॉफ) के सरल क्रमांक 1 के कॉलम (5) में, शब्द एवं चिन्ह "आई.ए.एस./ राज्य प्रशासनिक सेवा काडर वेतनमान" के स्थान पर, शब्द, चिन्ह एवं अंक "भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय वन सेवा/राज्य प्रशासनिक सेवा संवर्ग वेतनमान/ग्रामीण विकास विभाग में ग्रेड वेतन (7600) का अधिकारी" प्रतिस्थापित किया जाये.

(ख) शीर्षक जनपद पंचायत के अधीन भाग-क (विद्यमान स्टॉफ) के सरल क्रमांक 1 कॉलम (5) में, अंक एवं चिन्ह "2000-3500" के स्थान पर, शब्द, अंक एवं चिन्ह "विभागीय अधिकारियों के लिए वेतनमान 9300-34800+ग्रेड वेतनमान 4400 तथा प्रतिनियुक्ति पर आने वाले अधिकारियों के लिए वेतनमान 15600-39100+ग्रेड वेतनमान 5400" प्रतिस्थापित किया जाये.

No. F1-71/22-1/2015. — The following further draft amendment in The Chhattisgarh Panchayat Service (Recruitment and General Conditions of Services) Rules, 1999, which the State Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 70 of the Chhattisgarh Panchayat Raj Adhiniyam, 1993 (No. 1 of 1994), is hereby, published as required by sub-section (3) of Section 95 of the said act, for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that there said draft shall be taken in to consideration after the expiry of fifteen days from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

Any objection are suggestions regarding the said draft received from any persons, before the specified period and during office hours by the office of the Joint Secretary, Department of Panchayat and Rural Development, Government of Chhattisgarh, Room No. ADO-26, Mahanadi Bhawan, Mantralaya Naya Raipur, shall be considered by the Government of Chhattisgarh.

DRAFT AMENDMENT

In schedule of said rules-

In Schedule-I,-

(a) In column (5) of serial number 1 of Part-A Core Division (Existing Staff) Under Heading Zila Panchayat, for the words and symbol "IAS/State Administrative Service (Cadre Pay Scale)" the words, symbol and figure "Indian Administrative Service/Indian Forest Service/State Administrative Service Cadre Pay Scale/Officer of Grade Pay (7600) in Rural Development Department," shall be substituted.

(b) In column (5) of serial number 1 of Part-A- (Existing Staff) Under Heading Janpad Panchayat, for the figures and symbol "2000-3500" the words, figures and symbols "Pay Scale 9300-34800+Grade Pay 4400 for Departmental Officers and Pay Scale 15600-39100+Grade Pay 5400 for officers on Deputation," shall be substituted.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एल. नायक, संयुक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2015.